संख्या-60/2017-2608 ई-2/तेरह-2017-131/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 09 नवम्बर,2017**

विषय:- मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर (आसवनी इकाई) हरियावॉ, हरदोई को आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-48/दो-प्रा0डी0-189, दिनांक 25 अगस्त,2017 तथा पत्र संख्या-जी-68/दो-प्रा0डी0-189/डीएससीएल/हरियावॉ, दिनांक 18 अक्टूबर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 डी0एस0सी0एल0 शुगर (आसवनी इकाई) हरियावॉ, हरदोई द्वारा 200 किलोलीटर प्रतिदिन(330 दिवस के आधार पर 660 लाख लीटर वार्षिक) क्षमता की आसवनी, जिसके अन्तर्गत 200 किलोलीटर प्रतिदिन ई0एन0ए0 अथवा आर0एस0 या 196 किलोलीटर प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन हेतु प्लान्ट स्थापित किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण में 160 किलोलीटर प्रतिदिन अर्थात् 528 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की आसवनी के अन्तर्गत 160 किलोलीटर प्रतिदिन आर0एस0 या ई0एन0ए0 अथवा 150 किलोलीटर प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन हेतु प्लान्ट की स्थापना की अनुमति हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने तथा आसवनी की स्थापना के पश्चात् बाजार की मॉग के अनुसार शोधित आसव, ई0एन0ए0, डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय की अनुमति राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा पेय मदिरा का उत्पादन नहीं किया जायेगा और आसवनी स्थापना के सम्बन्ध में नियमानुसार वांछित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in